भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3148
दिनांक 08.08.2023 को उत्तरार्थ

गांवों में स्ट्रीट लाइटिंग

†3148. डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार गांवों में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए ग्राम पंचायतों को धन मुहैया कराती है, और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के बालुरघाट सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संबंधित अधिकारियों से धन के उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य के लिए निधि उपयोग का कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के बालुरघाट सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उसका ब्यौरा और उपलब्धियां क्या है;

(घ) क्या देश के सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराने के लिए कोई समय सीमा तय की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत, वित्त वर्ष 2020-21 की अंतरिम अवधि के लिए 60,750 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये का अनुदान, पश्चिम बंगाल सहित, 28 राज्यों मे पंचायतों के सभी तीन स्तरों, पारंपरिक स्थानीय निकायों और छठी अनुसूची के क्षेत्रों के लिए

आवंटित किए गए हैं। यह अनुदान दो भागों मे है अर्थात् मूल (अबद्ध) अनुदान और बद्ध अनुदान। मूल अनुदान का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत पंचायतों को सौंपे गए स्ट्रीट लाइटिंग सहित 29 विषयों पर महसूस की गई जरूरतों के लिए किया जा सकता है। पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए आवंटित और जारी राशि की राज्य-वार स्थिति **अनुबंध** में दी गई है। वित्त आयोग अनुदान के तहत, केवल राज्यों को धनराशि उपलब्ध करायी जाती है न कि संघ राज्यक्षेत्र को।

(ख) पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान की अगली किस्तों की निर्मुक्ति राज्यों द्वारा पिछली किस्तों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र/अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य निर्धारित शर्तों के अनुपालन करने पर की जाती है।

(ग) से (ङ) पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के संबंध में, पंचायतों को, स्थानीय स्तर पर महसूस की गई जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर, अपनी अनुमोदित पंचायत विकास योजना के अनुसार स्ट्रीट लाइट सहित बुनियादी सेवाओं पर व्यय को प्राथमिकता देने की शक्ति है।

***

अनुबंध

दिनांक 08.08.2023 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3148 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विगत तीन वर्षों के दौरान 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत पश्चिम बंगाल सहित राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आवंटित और जारी राशि

(राशि करोड़ रू में)

क्र. सं	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23	
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	2625.00	2625.00	1939.00	1917.85	2010.00	988.35
2	अरूणाचल प्रदेश	231.00	231.00	170.00	85.00	177.00	0.00
3	असम	1604.00	1604.00	1186.00	1186.00	1228.00	1228.00
4	बिहार	5018.00	5018.00	3709.00	3709.00	3842.00	3842.00
5	छत्तीसगढ़	1454.00	1454.00	1075.00	1075.00	1114.00	1114.00
6	गोवा	75.00	75.00	55.00	55.00	57.00	0.00
7	गुजरात	3195.00	3195.00	2362.00	2362.00	2446.00	2446.00
8	हरियाणा	1264.00	1264.00	935.00	935.00	968.00	483.65
9	हिमाचल प्रदेश	429.00	429.00	317.00	317.00	329.00	329.00
10	झारखण्ड	1689.00	1689.00	1249.00	1249.00	1293.00	646.50
11	कर्नाटक	3217.00	3217.00	2377.00	2375.50	2463.00	2093.55
12	केरल	1628.00	1628.00	1203.00	1203.00	1246.00	1246.00
13	मध्य प्रदेश	3984.00	3984.00	2944.00	2944.00	3050.00	1525.00
14	महाराष्ट्र	5827.00	5827.00	4307.00	4107.82	4461.00	3626.14
15	मणिपुर	177.00	177.00	131.00	65.50	135.00	0.00
16	मेघालय	182.00	182.00	135.00	40.50	140.00	0.00
17	मिजोरम	93.00	93.00	69.00	34.50	71.00	0.00
18	नागालैंड	125.00	125.00	92.00	92.00	96.00	0.00
19	ओड़िशा	2258.00	2258.00	1669.00	1669.00	1728.00	1728.00
20	पंजाब	1388.00	1388.00	1026.00	1026.00	1062.00	743.40
21	राजस्थान	3862.00	3862.00	2854.00	2854.00	2957.00	2955.34
22	सिक्किम	42.00	42.00	31.00	31.00	33.00	33.00
23	तमिलनाडु	3607.00	3607.00	2666.00	2666.00	2761.00	2761.00
24	तेलंगाना	1847.00	1847.00	1365.00	1365.00	1415.00	1415.00

25	त्रिपुरा	191.00	191.00	141.00	141.00	147.00	147.00
26	उत्तर प्रदेश	9752.00	9752.00	7208.00	7208.00	7466.00	7466.00
27	उत्तराखण्ड	574.00	574.00	425.00	418.70	440.00	439.21
28	पश्चिम बंगाल	4412.00	4412.00	3261.00	3217.02	3378.00	3292.85
	कुल	**60750.00**	**60750.00**	**44901.00**	**44349.39**	**46513.00**	**40548.99**

****